संख्या. 1/7/2011-वीएस -सीआरएस
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
जीवनांक प्रभाग, नागरिक पंजीयन योजना 2-ए मानसिंह रोड, नई दिल्ली - 110011
V.S. Division, Civil Registration System, 2-A, Mansingh Road, New Delhi 110011
ई-मेल : dig-crs.rgi@nic.in manojISSO.rgi@nic.in
दिनांक - 31-01-2018

परिपत्र

सेवा मे,

समस्त मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु

विषय- संस्थानों/ दत्तक ग्रहण संस्थानों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चों के जन्म अभिलेखों में प्रविष्टियां करने/ बदलने पर स्पष्टीकरण-

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 12 मार्च, 2012 और 25 अगस्त 2014 का संज्ञान लें, जिसके माध्यम से गोद लिए गए बच्चों के जन्म रिकॉर्ड में प्रविष्टियां करने/ बदलने पर पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। ये निर्देश केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के 2011 के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे जिसके अन्तर्गत दत्तक ग्रहण विलेख और दत्तक ग्रहण आदेश दोनों को गोद लिए गए बच्चों के जन्म पंजीकरण और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।

2. आप जानते होंगे कि उपरोक्त निर्देशों के माध्यम से दत्तक ग्रहण आदेश और दत्तक ग्रहण विलेख दोनों को दत्तक ग्रहण एजेंसियों (संस्थागत) या गैर-संस्थागत दत्तक ग्रहण के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए अनिवार्य बनाया गया था । बाद में 2015 के दौरान इस कार्यालय द्वारा 15 मई, 2015 को एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसके माध्यम से गैर-संस्थागत दत्तक ग्रहण के मामले में किसी न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश को प्रस्तुत करने की प्रणाली को हिंदू दत्तक ग्रहण एवं अनुरक्षण (हामा) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के आलोक में बंद कर दिया गया है और ऐसे पंजीकरण के लिए पंजीकृत दत्तक ग्रहण विलेख को अनिवार्य कर दिया गया है।

3. अब संस्थानों अर्थात दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से किए गए दत्तक ग्रहण के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है और इसे गजट अधिसूचना दिनांकित 04-01-2017 में "दत्तक ग्रहण विनियम 2017" के रूप में अधिसूचित किया है जिसमें संस्थागत दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण विलेख के प्रस्तुतीकरण के खंड को हटा दिया गया है और नई अधिसूचना की धारा 36 में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश का प्रस्तुतीकरण दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से गोद लिए गए बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए पर्याप्त है।

4. संस्थाओं (दत्तक ग्रहण एजेंसियों) के माध्यम से दत्तक ग्रहण के मामले में आम जनता द्वारा दत्तक ग्रहण विलेख प्रस्तुत करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस मामले की समीक्षा की गई है और तदनुसार, गोद लिए गए बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए दत्तक ग्रहण विलेख को प्रस्तुत करने के लिए जनता को जोर नहीं देने और जन्म घटना को पंजीकृत करने या न्यायालय के दत्तक ग्रहण आदेश के आधार पर आवश्यक सुधार/परिवर्तन करने का और गोद लिए गए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है।

5. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध किया जाता है कि वह राज्य में संबंधित पंजीकरण प्राधिकारियों को उपरोक्त संदर्भ में निदेशित करें और उन्हें दत्तक माता-पिता के नाम के साथ प्राथमिकता के आधार पर दत्तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निदेश दें । इस संबंध में की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस0